

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर-302001 दूरभाष नं. 0141-2373904 ईमेल-scr-rj@nic.in

क्रमांक/फा/संस्था/1/1/15/भूप्रआ/2021/ 4955

दिनांक:- 03.07.2021

कार्यालय आदेश

कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) भर्ती परीक्षा, 2018 के प्रतिक्षा सूची से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020-NJRs दिनांक 22.05.2021 के द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग में नियुक्ति हेतु आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय (लिपिक वर्गीय) मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 28 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई (Provisional) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान अधोलिखित शर्तों पर वित्त (नियम प्रकोष्ठ) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1) वित्त/नियम/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के नियम-16 शिड्यूल IV के प्रावधानानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल L-5 में 14600/- (चौदह हजार छः सौ मात्र) रुपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा :-

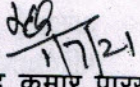
क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	आवेदन पत्र क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	आवंटित कार्यालय
1.	7089	201804105532	1300375	ASHOK	PARAS RAM	18-JULY 1994	Male	OBC	भूप्र.अ. जोधपुर
2.	7110	201803111227	1806622	RAJIV KHICHAIR	SOHAN LAL KHICHAIR	30-DEC 1995	Male	OBC	भूप्र.अ. भीलवाड़ा
3.	19901	201803456781	2176741	SHAYAR CHAWLA	BAJRANG LAL CHAWLA	08-AUG 1990	Male	SC	भूप्र.अ. जयपुर
4.	19948	201803909175	2358986	YOGESH KUMAR BAIRWA	GOVIND RAM BAIRWA	02-JUN 1991	Male	SC	भूप्र.अ. कोटा
5.	19995	201803734735	2333843	SANJAY KUMAR	OM PRAKASH	10-JUN 1993	Male	SC	भूप्र.अ. भीलवाड़ा
6.	24719	201803743859	1364743	AVINASH MEENA	RAM SINGH MEENA	08 JAN 1996	Male	ST	मु.का. जयपुर

उक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
- अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
- उक्त नियुक्तियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्रा.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्र क्रमांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011 (204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से मानी जायेगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ012(6)एफडी/रुल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रुल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(1)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रुल्स/2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट 4 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

8

7. परीक्षाकाल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति तक सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. दो वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड-11 (कनिष्ठ सहायक) के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेंगी।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. परीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
16. परीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधानी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी।
17. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
18. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ-7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
19. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।
20. उक्त नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अध्यक्षीन होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
21. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष हैं, वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।


(महेन्द्र कुमार पारख)

भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ ५९५६ — ५९९८

दिनांक:- ०५.०७.२०२१

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु० ३) विभाग राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री रविकान्त शर्मा पुत्र श्री नवल किशोर शर्मा मैरिट क्रमांक 5111, आवेदन क्रमांक 201804086281, रोल. नम्बर 1823605 को बार-बार अवसर दिए जाने पर भी दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इनका मूल आवेदन पत्र अलग से भिजवाया जा रहा है।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व गुप-1 विभाग राजस्थान जयपुर।
4. भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर/भीलवाड़ा/जोधपुर/कोटा/संस्था रिकार्ड मु.का. को नवनियुक्त प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायकों के मूल प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज भेजकर लेख है कि क्र. स. 01 से 06 पर अंकित अभ्यर्थी की परिशिष्ट 'अ' के अनुसार इनके शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच कर ली गई है। चयनियत सभी 06 अभ्यर्थियों को जिला कार्यालय आवंटन कर नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। जिस अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेज, शपथ-पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवशेष है, उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे पूर्व में पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों से पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
5. कोषाधिकारी, जयपुर/भीलवाड़ा/जोधपुर/कोटा/मुख्य कार्यालय जयपुर द्वारा सम्बन्धित कार्यालय।
6. लेखाधिकारी, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, संस्था, (मुख्यावास) राज. जयपुर।
10. प्रभारी आई.टी. शाखा मुख्य कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित अभ्यर्थी नाम मय पता.....
12. निजी पंजिका सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित कार्यालय।
13. प्रभारी संस्था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय/सामान्य/जांच शाखा/सदर मुंसरिम/लेखा शाखा/कोर्ट शाखा/न्याय शाखा/ स्टोर/वर्क स्टेशन मुख्य कार्यालय।
14. गार्ड फाईल।

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान,
जयपुर